न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 04/2017

प्रार्थीगण

श्री देवाराम पुत्र श्री वेनाजी जाति माली निवासी नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री नैनसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री बाबूसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री करणसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी नयासानवाडा हाल वाईट वे टेलर अजारी सर्कल स्टेशन रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी नयासानवाडा हाल विनोद ऑटोमोबाईल के पीछे राज मोटर्स के सामने भाटकडा हाईवे सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
6. सरपंच ग्राम पंचायत नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री श्रवणसिंह राणावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय **दिनांक 01.07.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 क्षेत्रफल 2800 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राणावत ने उपस्थिति दी, लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी संख्या दो से छः की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में किसी भी प्रकार कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 क्षेत्रफल 2800 वर्गफीट को विधि विरूद्ध जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम नयासानवाडा में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से पट्टा संख्या 28 दिनांक 23.02.1963 की भूमि को दिनांक 09.01.1985 को दो विक्रय विलेख से खरीद किया था। यह है कि प्रार्थी द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उक्त पट्टा संख्या 28 के आगे खांचा भूमि 8×54 वर्गफीट की खरीद की गई, जिसकी राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाई गई एवं उक्त खांचा भूमि का पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.02.2002 को ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा उक्त खांचा भूमि एवं प्रार्थी की भूमि में से कुछ भाग अपने भाई श्री शंकरलाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.03.2016 को बख्शीस किया गया। यह है कि प्रार्थी राजकीय कर्मचारी है एवं लम्बे समय से सिरोही में निवासरत है, जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या एक ने कुछ समय पूर्व प्रार्थी के पट्टेशुदा भूमि व गली की भूमि को मिलाकर निर्माण किया एवं अप्रार्थीगण की माता उमरावदेवी पत्नि श्री रावतसिंह जी जो स्वयं ग्राम पंचायत का सचिव का पद ग्रहण किए हुए अपने पत्नि के नाम से फर्जी रूप से पट्टा बनाया जिसमें मौके पर 100 फीट की जगह पहले 107 फीट लिखा, उसके बाद उसे काट कर 112×25 फीट का पट्टा बना दिया जबकि मौके पर 25×100 फीट पर कब्जा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक 10 फीट की गली की भूमि तथा 04 फीट प्रार्थी की पट्टेशुदा भूमि का मिलाकर निर्माण कार्य गलत रूप से किया जा रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड पर अतिक्रमण करते हुए रास्ता बन्द कर दिया गया है, जबकि मौके पर 112 फीट नहीं होते हुए भी मकान व रास्ता व प्रार्थी की भूमि को शामिल कर 112 फीट लम्बाई का पट्टा जारी किया गया है, जो गलत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 क्षेत्रफल 2800 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राणावत द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 को विधि सम्मत जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड के आगे खांचा भूमि के रूप अवैध रूप से अतिक्रमण कर रास्ता रोका गया है। यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 के अंकित क्षेत्रफल 2800 वर्गफीट पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो से छः की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः अप्रार्थी का जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है एवं न ही अप्रार्थी बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हुए

उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 क्षेत्रफल 2800 वर्गफीट को श्रीमती उमराव पत्नि श्री रावतसिंह के नाम से जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय किए भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा पट्टा संख्या 28 दिनांक 23.02.1963 क्षेत्रफल 32×54 कुल 1728 वर्गफीट [illegible] राजपूत के नाम से जारी किया गया। प्रार्थी अधिव[illegible] भूखण्ड के आगे खांचा भूमि जिसका ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.02.2002 प्रार्थी श्री देवाराम के हक में जारी किया गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय में दर्ज पंचायत निगरानी संख्या SPL/2017 में वाद सुनवाई दिनांक 26.04.2022 को उक्त विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 20.02.2002 को खारिज किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती उमरावदेवी पत्नि श्री रावतसिंह द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर श्री रावतसिंह, जो ग्राम पंचायत में सचिव थे, के द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया गया, उसमें पूर्व में 107×25 वर्गफीट नाप अंकित की गई, परन्तु बाद में 107 फीट को काटकर 112 फीट कर दिया गया एवं ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी नाप 107×25 वर्गफीट अंकित की गई है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 में 112×25 वर्गफीट अंकित की गई है। इस प्रकार उक्त विवादित पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 में विरोधाभास प्रतीत होता है। यह है कि इस सम्बन्ध विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो पत्र क्रमांक/पंसपि /पंचायत/2022/560 दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त हुई, जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी श्री देवाराम के नाम से नियम विरूद्ध विक्रय विलेख संख्या 44 दिनांक 20.02.2002 को जारी करने से आने वाली आम गली बन्द हो जाती है, जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने से जारी विक्रय विलेख संख्या 44 दिनांक 20.02.2002 की भूमि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त करने पर रास्ता सुचारू हो सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती उमरावदेवी पत्नि श्री रावतसिंह को जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 में अंकित नाप एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट व अनापत्ति इश्तिहार में अंकित नाप में विरोधाभास होने से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण करने के उपरान्त आपत्ति इश्तिहार जारी करने के पश्चात रास्ता भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण करने की नियत से नक्शे में 107 फीट को काटकर 112 फीट अंकित कर दिया, तत्पश्चात पट्टा भी 112×25 वर्गफीट का जारी किया गया। ऐसी स्थिति में मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं आपत्ति इश्तिहार में अंकित नाप को ही अन्तिम माप माना जाना उचित प्रतीत होता है एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि श्रीमती उमरावदेवी को जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 का कुछ भाग रास्ता भूमि में होना प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उपलब्ध फोटोग्राफ एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा श्रीमती उमरावदेवी पत्नि श्री रावतसिंह के हक में क्षेत्रफल 107×25 वर्गफीट भूमि तक का जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 को बहाल रखते हुए इसी पट्टा संख्या 48 दिनांक 02.12.1963 में काट–छांट कर बाद में जोडे गए क्षेत्रफल 05×25 वर्गफीट तक की भूमि का पट्टा को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner